

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 25-03-2021

आज दिनांक 25.03.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौरस्तुभ के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

छेड़खानी व मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 22 / 2021 धारा धारा 302/307/354 भादवि में वांछित अभियुक्त नाम पता सुनील प्रताप साहनी पुत्र पवन कुमार साहनी निवासी मुसहरा थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 23.03.2021 को वादी की माँ व बहन को खेत से वापस आते समय मारपीट कर लहलुहान कर दिया था जिससे वादी की माँ की मृत्यु हो गयी थी तथा वादी की बहन को घायलावस्था में सीएचसी मेंहादवल इलाज हेतु भिजवाया गया था। जिसके संबन्ध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला सम्बन्धित अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए आज दिनांक 25.03.2021 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम का विवरण- प्रभारी निरीक्षक थाना धर्मसिंहवा श्री विनय कुमार पाठक, उ0नि0 श्री चन्द्रप्रकाश सिंह, का0 धर्मेन्द्र यादव, का0 मनीष वर्नवाल, का0 मनोज कुमार दूबे, का0 तेजप्रताप चौरसिया।

213 ग्राम अवैध गॉजे के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेंहादवल पुलिस द्वारा एक अभियुक्त नाम पता दान मोहम्मद पुत्र मेंहदी हसन निवासी मंगल बाजार थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को 213 ग्राम अवैध गॉजे के साथ गिरफ्तार कर थाना मेंहादवल पर मु0अ0सं0 88/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार, का0 नितेश भारती, का0 रमेश सर ।

जनपद सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा 04 वारण्टियों को किया गया गिरफ्तार
थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता 1- जितेन्द्र पुत्र बाबूलाल 2-
राजेन्द्र पुत्र बाबूलाल निवासीगण मिश्रौलिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद
सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अनिरुद्ध सिंह, का0 अंगद गुप्ता ।
थाना महुली पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता 1- बेचन पुत्र गोगल निवासी हरिहरपुर 2-
घनश्याम पुत्र हरिहर निवासी धायपोखर थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार
किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1484 द्वारा मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त– पीआरवी 1484 को थाना धनघटा
क्षेत्रान्तर्गत सोनाडीह से इवेन्ट संख्या 08172 से कालर ने किसी बात को लेकर महिला से मारपीट /
विवाद होने के संबन्ध सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 04 मिनट
में पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना धनघटा के सुपुर्द किया
गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त
कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई
।

पीआरवी स्टाफ –आ0 अभय सिंह, आ0 मंगला सिंह यादव, हो0चा0 मेजर यादव ।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 78 वाहनो से 66500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया
गया**

आज दिनांक 25.03.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध
व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन
अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 78 वाहनो से 66500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया
गया ।